वेबसाईट हेतु

झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान-सभा

नवम् - सत्र

वर्ग -01

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक- 12 भाद्र, 1934 (श0) को 03 सितम्बर, 2012 (ई0) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
01-	अ0सू0-13	श्री सावना लकड़ा	पदाधिकारियों पर कार्रवाई ।	वित्त	25.08.12
02-	अ0सू0-10	श्री प्रदीप यादव	वित्तीय अनियमितता पर नियंत्रण ।	योजना	25.08.12
03-	अ0सू0-11	श्री दीपक बिरूवा	अभियुक्तों की गिरफ्तारी।	गृह	25.08.12
04-	अ0सू0-05	श्री बन्धु तिर्की	अनुसूचित जनजाति में ही रखना ।	कार्मिक	21.08.12
05-	अ0सू0-06	श्रीमती गीताश्री उरांव	आश्रित को नौकरी और मुआवजा ।	गृह	24.08.12
06-	अ0सू0-07	डॉ0 सरफराज अहमद	अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई।	गृह	24.08.12
07-	अ0सू0-01	श्री जनार्दन पासवान	आरक्षण सीमा में वृद्धि ।	कार्मिक	14.08.12
08-	अ0सू0-14	श्री विष्णु प्रसाद भैया	दर्ज काण्ड पर कार्रवाई सुनिश्चित करना ।	गृह	25.08.12
09-	अ0सू0-16	श्री अमित कु0 यादव	थाना भवन का निर्माण	गृह	29.08.12
10-	अ0सू0-12	श्री सावना लकड़ा	विशेष योजना की व्यवस्था करना ।	गृह	25.08.12
11-	अ0सू0-02	श्री जनार्दन पासवान	थाना प्रभारी के विरूद्ध कार्रवाई ।	गृह	21.08.12
12-	अ0सू0-08	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी,	जाँच एवं कार्रवाई करना।	गृह	24.08.12

कृ0पृ0उ0-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
13-	अ0सू0-03	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	योजना राशि ससमय व्यय करना।	योजना	21.08.12
14-	अ0सू0-04	श्री बन्धु तिर्की	डोमिसाईल को परिभाषित करना ।	कार्मिक	21.08.12
15-	अ0सू0-15	श्री अरविन्द कु0सिंह	नया कार्यादेश देना ।	मंत्रिमण्डल सचिवालय	25.08.12
16-	अ0सू0-09	श्री प्रदीप यादव	आश्रित की नियुक्ति ।	गृह	24.08.12

रांची,
दिनांक- 03 सितम्बर, 2012 ई0।

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रांची ।

ज्ञापांक- 3005 /वि0स0, रांची, दिनांक- 30 अगस्त, 2012 ई0।

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्रीगण / अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/8/12

संजीत कुमार
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रांची ।

ज्ञापांक- 3005 /वि0स0, रांची, दिनांक- 30 अगस्त, 2012 ई0।

प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं उप सचिव प्रश्न के संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

30/8/12

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रांची ।

निरंजन

30/8

(01)

श्री सावना लकड़ा, स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.09.2011 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–13, का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006–07 से लेकर वर्ष 2011–12 तक 5874 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्य सरकार के 25 विभागों में जून, 2012 तक केन्द्र को नहीं दिया है?	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र से संबंधित आँकड़ो की सही जानकारी संबंधित विभाग ही दे सकते हैं। वित्त विभाग के पास इसकी कोई समेकित विवरणी उपलब्ध नहीं है। सभी विभागों से जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक 1846/वि०, दिनांक 01.09.2012 द्वारा अनुरोध किया गया है। जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् समेकित विवरणी उपलब्ध करा दी जायेगी।
(2.) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र न देने के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने एवं आगे से ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	सभी विभागों से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् इसपर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखंड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : वित्त–5/पें॰(4)–22/2012–229/पें० राँची, दिनांक 02.09.2012

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची के ज्ञापांक 2896 वि॰स॰, दिनांक 25.08.2012 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 1/09/2012

(हरदेव नारायण सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

10

सं॰सं॰ :– 9/विविध–01/2010 1846/

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची, दिनांक 01-9-2012

प्रेषक,

निरंजन कुमार,
अपर वित्त आयुक्त,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मा० विधायक श्री सावना लकड़ा द्वारा अपने अल्प सूचित प्रश्न द्वारा 2006–07 से लेकर वर्ष 2011–12 तक के केन्द्र को भेजे जाने वाले लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी मांगी गयी है, प्रश्न की प्रति संलग्न है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित लंबित उपायोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित आंकड़ो को अविलम्ब वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

ह॰ 1.9.2012

(निरंजन कुमार),
अपर वित्त आयुक्त,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री सावना लकड़ा, स०वि०स० से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न,

संख्या– अ०सू०–13, क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006–07 से लेकर वर्ष 2011–12 तक पाँच हजार आठ सौ चौहत्तर (5874 करोड़) रूपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार के 25 विभागों में जून, 2012 तक केन्द्र को नहीं दिया है ?

2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र न देने के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने एवं आगे से ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(3)

श्री दीपक बिरूवा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं0–11 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत चैनपुर थाना कांड सं०–68/12, दिनांक–19 अप्रैल, 2012 द्वारा अरशद करीम की हत्या के आरोप में श्री मुन्ना अंसारी एवं श्री नुर आलम को नामजद अभियुक्त बनाया है ;	चैनपुर थाना कांड सं०–68/12, दिनांक–21.04.12 में श्री मुन्ना अंसारी एवं नूर आलम के विरूद्ध वादी इरशाद करीम वल्द अब्दुल करीम द्वारा उनके पुत्र अरशद करीम की धारदार हथियार से मारकर फेकने का आरोप दर्ज कराया गया।
2	क्या यह बात सही है कि हत्या जैसे संगीन मामले में नामजद अभियुक्त होने के बावजूद उक्त दोनों आरोपियों को अब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नही की गई है ;	आशंकि रूप से स्वीकारात्मक है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड हत्या का प्रमाणित नही हुआ है। यह कांड धारा–279/304ए० भा०द०वि० के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में मृत्यु बताई गयी है। इसलिए अभियुक्त को गिरफ्तार नही किया गया है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनो अभियुक्तों को अविलम्ब गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथाउपरोक्त।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक– 5/(विस०(10)-36/12 4225/ राँची, दिनांक–01/09/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/9/12

सरकार के उप सचिव।

(5)

माननीय स0वि0स0 श्री बंधु तिर्की द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–5 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बेदिया जाति को The Constitution Schedule Tribe Order 1950 में आज तक अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बेदिया शब्द को अंग्रेजी में दो अलग तरह से Bediya or Bedia लिखे जाने के कारण एक को पिछड़ी जाति में और दूसरी को अनुसूचित जनताति में वर्णित किया गया है, जबकि हिन्दी में बेदिया एक ही तरह से लिखा जाता है और इसे अनुसूचित जनजाति में रखा गया है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–5 पर बेदिया (Bedia) दर्ज है। राज्य की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) तथा पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) में 'बेदिया' का नाम अंकित नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेदिया जाति (अनुसूचित जनजाति) को पिछड़ी जाति की सूची से समाप्त कर सिर्फ अनुसूचित जनजाति में ही रहने दिये जाने सम्बन्धी स्पष्ट राज्यादेश निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–7/झा0वि0स0–07–46/2012 का॰–9965 रांची, दिनांक 29/08/12

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञापांक–2209/वि0स0, दिनांक 21.08.2012 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ 29.8.12

(किंदेलिस टोप्पो)

सरकार के संयुक्त सचिव।

letter- Section-7

(5)

श्रीमती गीताश्री उरॉव, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं0–06 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के सिसई थाना कांड सं०–63/2011 में गणेश साहू उर्फ भउला साहू सा०–पोढ़ा, थाना–सिसई की हत्या उग्रवादियों द्वारा दिनांक–04.05.2011 को अपहरण कर गोली मारकर कर दी गयी थी ;	अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि पुलिस अधीक्षक को प्रेषित उपायुक्त, गुमला के पत्रांक–131 (II), दिनांक–11.02.2011 में उग्रवादी हत्या में मारे गये लोगों की सूची में मृतक का नाम दर्ज है;	उपायुक्त, गुमला द्वारा अपने पत्रांक–1285, दिनांक–13.10.2011 द्वारा मृतक गणेश साहु, पिता–स्व० सुघु साहु की हत्या के संबंध में पुलिस अधीक्षक, गुमला से जांच प्रतिवेदन मांगी गई थी। पत्राक–131(ii)/रा०, दिनांक–11.02.2012 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक को स्मारित किया गया था।
3	क्या यह बात सही है कि मृतक के आश्रित परिवार को अभी तक प्रावधानों के अनुसार नौकरी व मुआवजा तथा सामाजिक सुरक्षा सहायता नही दिया गया है ;	सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक के आश्रित पत्नी असरीता देवी को रू०–10,000/–(दस हजार रूपये) का भुगतान किया गया है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आश्रित परिवारों को नौकरी व मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्व० गणेश साहु उर्फ भउला साहु की हत्या गैर उग्रवादी हिंसा में हुई है। केवल उग्रवादी हिंसा में मृत व्यक्तियों के आश्रित को ही नौकरी व मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। अतः स्व० साहु के आश्रित को नौकरी व मुआवजा देय नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०-प्र०(26)/18/12 4078/ राँची, दिनांक–01/09/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/9/12

सरकार के उप सचिव।

(6)

डा० सरफराज अहमद, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं0–07 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विगत कुछ दिनों में एच०ई०सी० की जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में अपराध की घटना जैसे महिलाओं से सोने की जेवर छीनने की घटना, छेड़–छाड़ एवं अपहरण की घटना बढ़ी है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जेवर छिनने वाले गिरोह का उद्भेदन किया जा चुका है।
2	क्या यह बात सही है कि प्रशासन ने यह बात स्वीकार किये है कि रॉची के अपराधियों की शरणगाह एच०ई०सी० का क्वार्टर बन गया है जिसमें वह अवैध रूप से कब्जा कर रहते है उदाहरण स्वरूप लव भाटिया के अपहरणकर्त्ता का पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुआ था ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। एच०ई०सी० क्वार्टर में अवैध अतिक्रमण है, परन्तु अपराधिक अवैध कब्जे के संदर्भ में एच०ई०सी० प्रशासन द्वारा कोई शिकायत नही की गई है।
3	क्या यह बात सही है कि दिनांक–16.08.2012 को एच०ई०सी० के क्वार्टर सं०–2308 में रह रहे विधान सभा कर्मी श्री रवीन्द्र प्रसाद, अनुसेवक का अपहरण कर अपराधियों द्वारा बेरहमी से पिटा गया ;	श्री रविन्द्र प्रसाद अनुसेवक के साथ घटना की प्राथमिकी कांड सं०–249/12, दिनांक–16.08.2012 जगरन्नाथपुर थाना में अंकित है, जो सम्प्रति अनुसंधान अंतर्गत है एवं दो जामजद अभ्युक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में अपराध रोकने के लिए वर्त्तमान थाना प्रभारी के स्थान पर योग्य थाना प्रभारी को पदस्थापित कर विधि व्यवस्था बनाये रखने एवं दोषी अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों के आलोक में उत्तर अस्वीकारात्मक है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–10/(वि0·158)/12 4072 / रॉची, दिनांक–01/09/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/9/12

सरकार के उप सचिव।

माननीय स0वि0स0 श्री जनार्दन पासवान द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–01 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापनों में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट 3 वर्ष दी जाती है। साथ ही उक्त जाति को नौकरियों में आरक्षण 27 प्रतिशत दी जाती है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रावधान के आलोक में बिहार सरकार में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति में 30 प्रतिशत तथा पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मात्र 02 वर्ष की दी जा रही है, जैसा कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाले गये विज्ञापन में दिया गया है साथ ही पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को नौकरी में आरक्षण मात्र 14 प्रतिशत दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक है। वर्तमान में कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2096 दिनांक 25.04.2011 द्वारा सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष निर्धारित है जो अनारक्षित कोटि के उम्मीदवारों से दो वर्ष अधिक है। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5162 दिनांक 25.09.2008 द्वारा राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) को 8 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) को 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पिछड़ी जाति को देय आरक्षण सीमा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत एवं अधिकतम उम्र सीमा में छूट 03 वर्ष करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में उक्त आयु सीमा में वृद्धि का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। साथ ही पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–7ए/झा0वि0स0–15–36/2012 का०– **10136** /रांची, दिनांक 01.09.2012

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञापांक–2185, दिनांक 14.08.2012 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

letter-7a

श्री विष्णु प्रसाद भैया, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं0—14 का उत्तर प्रविवेदन :—

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची नगर क्षेत्र अंतर्गत एच०ई०सी० कॉलोनी, धुर्वा के सेक्टर—2 में आए दिन छिनतई, लूटपाट, अपहरण एवं रंगदारी के मामले विगत अक्टूबर, 2011 से काफी बढ़ गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के अधिकांश कर्मियों को सेक्टर—2 का ही आवास आवंटित है, कार्यालय कार्य के कार्यदबाव के कारण कर्मियों को लौटने में विलम्ब हो जाता है और इस दौरान कई अप्रिय घटना घट चुकी है ;	सरकारी कर्मी के साथ किसी अप्रिय घटना की सूचना थाना में प्रतिवेदित नही है।
3	क्या यह बात सही है कि इस प्रकार की घटनाओं के विरूद्ध जगन्नाथपुर थाना कांड सं०—433/10, 202/12, दिनांक—02.07.2012, 249/12, दिनांक—16.08.2012 आदि दर्ज करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नही हुई है ;	जगन्नाथपुर थाना में कांड सं०—433/10 प्रतिवेदित नही है। कांड सं०—202/12 में आरोप पत्र समर्पित है, कांड सं०—249/12 में प्राथमिकी के नामजद, दो अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष दो की गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रयासरत है, सम्प्रति यह कांड अनुसंधानान्तर्गत है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित कांड संख्या पर त्वरित कार्रवाई करने तथा राज्य सरकार के कर्मियों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खंडो से स्थिति स्वतः स्पष्ट है। कार्मियों की सुरक्षा हेतु गश्ती एवं पेट्रोलिंग स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक— 5/वि०स०(12)-37/12 4227/ राँची, दिनांक—01/09/2012 ई०।

प्रतिलिपि—200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 01/9/12
सरकार के उप सचिव।

(9)

श्री अमित कुमार यादव, स० वि० स० से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०–सू०–16 का प्रश्नोत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चलकुशा थाना खोलने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य सरकार द्वारा दी गई है ?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है उक्त थाना से स्वीकृत हुए 03 वर्ष बीत जाने के बाद भी अबतक नया थाना भवन निर्माण नहीं कराया गया है ?	स्वीकारात्मक।
3	यदि खण्ड 1 एवं 2 का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में चलकुशा थाना भवन निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है इस थाना भवन के निर्माण हेतु योजना स्वीकृत है एवं राशि JPHCL को उपलब्ध करा दी गई है। परंतु भूमि अनुपलब्ध रहने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। भूमि हेतु आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजा गया है, जमीन उपलब्ध होते ही थाना भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
गृह विभाग

ज्ञापांक – 2/वि०स०/09/2012 4224 **राँची, दिनांक** 01.09.2012

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके 2985 दिनांक 29.08.2012 के प्रसंग में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/9/12

सरकार के उप सचिव।

(10)

श्री सावना लकड़ा, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं0–12 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा सहित सभी जेलों में विभिन्न धर्म के बंदियों के लिए पर्व में विशेष खाना की व्यवस्था का प्रावधान है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में किसी भी जेल में सरना धर्म के पर्व यथा करमा और सरहुल में वंदियों को विशेष खाना दिये जाने का कोई इंतजाम अब तक नही है ;	कारांओं में संसीमित बंदियों को करमा एवं सरहुल के अवसर पर भी विशेष भोजन देने की व्यवस्था कारा हस्तक नियम–1026 में निहित प्रावधानों के अधीन किया जा रहा है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार करमा और सरहुल पर्व के अवसर पर भी विशेष खाना दिये जाने की व्यवस्था चालू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–7/विस-18/12 4070 / राँची, दिनांक–01/09/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/9/12
सरकार के उप सचिव।

श्री जनार्दन पासवान, स०वि०स० के द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न

सं0–02 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत प्रतापपुर प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा इसी प्रखण्ड के ग्राम–गुरिया निवासी श्री गणेश प्रसाद एवं ग्रामीण बैंक (प्रतापपुर) के तत्कालीन बैंक प्रबंधक के विरूद्ध एक संगीन धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी आवेदन दिनांक–11.02.2012 को दिया गया ;	स्वीकारात्मक। प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी आवेद/पत्र प्रतापपुर थाना में दिनांक–14.02.2012 को प्राप्त हुआ है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्राथमिकी दर्ज करने में प्रतापपुर थाना प्रभारी श्री प्रमोद रंजन द्वारा लगातार आनाकानी की जाती रही और बामुश्किल दिनांक–22.02.2012 को यानि दस दिनों के पश्चात इनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इतने बड़े धोखाधड़ी के मामले को रफा–दफा करने की मंशा रखने वाले उक्त थाना प्रभारी के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त विलम्ब के लिए थाना प्रभारी प्रतापपुर श्री प्रमोद रंजन को चेतावनी दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–54/12 4073/ राँची, दिनांक–01/09/2012 ई०।

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञापांक सं०–2212, दिनांक–21.08.2012 के संदर्भ में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, राँची/उप सचिव प्रभारी प्रशाखा–04 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/9/12

सरकार के उप सचिव।

12

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं0–08 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में यू०ए०पी० अधिनियम–1967 अंतर्गत प्राधिकार का गठन किया गया है, जिसमें सहायक निदेशक, अभियोजन सदस्य प्राधिकार है ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्राधिकार अंतर्गत जिला उपायुक्तों द्वारा सहायक निदेशक, अभियोजन सह सदस्य प्राधिकार को विभिन्न मामले से संबंधित प्राप्त अभिलेखों के अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा हेतु 15 कार्य दिवस का समय निर्धारित है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुतः उपायुक्तों से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर सहायक निदेशक, अभियोजन सह सदस्य प्राधिकार को अभियोजन स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने की शक्ति नही है। अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा प्राधिकार के सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से ली जाती है। इस प्राधिकार समिति के अध्यक्ष विशेष सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड, रॉची है।
3	क्या यह बात सही है कि अभियुक्तों को लाभ पहूँचने के उद्देश्य से 200 अभिलेख अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा हेतु 15 कार्य दिवस का समय निर्धारित है ;	अस्वीकारात्मक। यह बात सही नही है कि अभियुक्तों को लाभ पहूँचाने के उद्देश्य से 200 अभिलेख अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा के बिना वर्षो से लंबित है। अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा प्राधिकार द्वारा की जाती है। प्रत्येक मामले के गुण दोष की समीक्षा विधि एवं साक्ष्य के आधार पर करने के पश्चात ही अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा प्राधिकार द्वारा की जाती है। कतिपय मामले अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है जिन पर शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा।
4	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मामले की जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चुकि मामला प्रक्रियाधीन है। अतः किसी के विरूद्ध कार्रवाई का प्रश्न नही उठता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–3/विधान-02/12 4226 / रॉंची, दिनांक–01/09/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/9/12

सरकार के उप सचिव।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–3 का उत्तर सामग्रीः–

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य योजना बजट के 16300.00 करोड़ रू0 में चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही माह जून, 2012 तक मात्र 1050.00 करोड़ रू0 ही व्यय हो पाये हैं ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना के अन्तर्गत कुल कर्णांकित उद्व्यय 16300.00 करोड़ रू0 के विरूद्ध माह जून, 2012 तक कुल 1168.15 करोड़ रू0 व्यय किये गये हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के बीस सरकारी विभागों ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विकास के लिए तय राशि में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया है ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन माह में राज्य के कुल 16 सरकारी विभागों में व्यय शून्य है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विकास मद के पैसे नहीं खर्च करने के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने एवं ससमय योजना राशि को खर्च करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक माहों में योजना का सूत्रण, प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति की कार्रवाई में समय लगता है। फलस्वरूप प्रारम्भिक माहों में राशि कम व्यय होती है। वर्ष के अंतिम माहों तक प्रायः राशि व्यय हो जाती है।

झारखण्ड सरकार
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक– 1448 रॉची, दिनांक 29/08/12

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची को उनके ज्ञाप सं0–2211 दिनांक 21.08.2012 के आलोक में 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/08/2012

सरकार के अवर सचिव

माननीय स0वि0स0 श्री बंधु तिर्की द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या--अ0सू0--4 का उत्तर।

(14)

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक--5448, दिनांक 12.09.2011 के द्वारा राज्य में नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य आरक्षण की सुविधा तब ही दी जा सकती है, जब उम्मीदवार की जाति राज्य के ही अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत हो तथा उम्मीदवार राज्य का अधिवासी (डोमिसाइल) हो, को ही आरक्षण की सुविधा देने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अभी तक राज्य में अधिवासी (डोमिसाइल) परिभाषित नहीं होने के कारण राज्य के अधिवासियों को नियुक्ति एवं शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सुविधा का लाभ पूर्णतः नहीं मिल पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या--3389 दिनांक 22.09.2001 तथा संकल्प संख्या--4536 दिनांक 08.08.2002 के द्वारा स्थानीय व्यक्ति परिभाषित है तथा संकल्प संख्या--2691 दिनांक 29.04.2002 एवं 4156 दिनांक 17.07.2002 द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो क्रमशः शिक्षण संस्थानों में नामांकन तथा नियोजन हेतु प्रयुक्त होते हैं, के लिए दिशा निर्देश भी निर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में अधिवासी (डोमिसाइल) को परिभाषित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या--डब्ल्यू0पी0(पी0आई0एल0)--4050/2002 एवं 3912/2002 में दिनांक 27.11.2002 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु स्थानीय व्यक्ति को पुनः परिभाषित करने के सम्बन्ध में कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या--1885 दिनांक 09.04.2011 द्वारा एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित है। स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रतिवेदनानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक--7/झा0वि0स0--07--47/2012 का०--9964/रांची, दिनांक 29/08/12

प्रतिलिपि--अवर सचिव, झारखण्ड विधान--सभा को उनके ज्ञापांक--2210/वि0स0, दिनांक 21.08.2012 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.8.12

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

letter- Section-7

(15)

श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–15

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विगत चार वर्षों में विभिन्न निर्माण कंपनियों (यथा पुल, पथ, भवन, चेक डैम आदि) के विरूद्ध अनियमित निर्माण के लिए सी.बी.आई. एवं निगरानी जाँच के आदेश दिये गये हैं,	1. उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि पथ निर्माण विभाग में वाद संख्या W.P(PIL) No.- 803/09 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय में फर्जी इनवायस के आधार पर बिटुमिन आपूर्ति के मामले में सी0बी0आई0 जाँच का आदेश दिया गया है। जबकि .भवन निर्माण विभाग के प्रतिवेदनानुसार विशेष कार्य प्रमण्डल, रांची के द्वारा राष्ट्रीय खेल से संबंधित निर्माण कार्य का सी0बी0आई0 जाँच का आदेश दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि विभिन्न निर्माण एजेंसियों को झारखण्ड में न्याय निर्णय के पूर्व ही कार्यादेश देना बन्द कर इन्हें काली सूची में डाल दिया गया है,	2. उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। भवन निर्माण विभाग के प्रतिवेदनानुसार एक कम्पनी मे0 मेनहर्ट सिंगापुर प्रा0 लि0 को काली सूची में डाला गया है। संबंधित कम्पनी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार काली सूची में डाले गये कम्पनियों को काली सूची से मुक्त करते हुए नया कार्यादेश देना चाहती है, हाँ तो कबतक नहीं, तो क्यों?	3. इस संबंध में पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रतिवेदित है कि "झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली 2008 के नियम–10 की उप कंडिका–10.4 के तहत काली सूची में डाले गये कम्पनियों को नया कार्यादेश नहीं दिया जा सकता है।" जबकि भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मे0 मेनहर्ट सिंगापुर प्रा0 लि0 द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

ज्ञापांक –5 / म0म0स0(प्रश्नोत्तर)–107 / 2012 1280 / रांची, दिनांक–02 सितम्बर, 2012 ई0।

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञापांक–2847 दिनांक 24.08.2012 के संदर्भ में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/9/2012

(जे0 पी0 लकड़ा)
सरकार के संयुक्त सचिव

(16)

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.09.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं0–09 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक–30.06.2008 को बुण्डू, रॉची में प्रमोद कुमार डी०वाई०एस०पी० (झा०पु०सेवा) नक्सलियों के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान शहीद हुए थे ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि विशेष परिस्थिति में अन्य राज्यों की तरह आश्रित परिवार ने वर्ग–II (राजपत्रित) पद पर नियुक्ति की इच्छा व्यक्त की है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब शहीद के आश्रित परिवार के सदस्य (श्री अनिमेष कुमार) को वर्ग–II राजपत्रित पद पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गृह विभाग के संकल्प सं०–2597, दिनांक–09.06.2011 में उग्रवादी/नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों (अविवाहित) के निजी भाई/बहन (अविवाहित) को राज्य सरकार के अधीन वर्ग–3 एवं 4 के पद पर योग्यता के अनुरूप अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। स्व० प्रमोद कुमार, पुलिस उपाधीक्षक अविवाहित थे। उक्त नियमों को क्षांत करते हुए उनके भतीजा श्री अनिमेष कुमार को विशेष परिस्थिति में वर्ग–3 (लिपिक) के पद पर नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। विभाग द्वारा वर्ग–3 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदिका को सहमति पत्र भी प्रेषित किया गया है। परन्तु आवेदिका की मांग है कि पुलिस विभाग में वर्ग–2 (पुलिस उपाधीक्षक) के पद पर नियुक्त किया जाय। राज्य सरकार में वर्ग–2 के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। फलस्वरूप इस पद पर सीधे नियुक्त करना संभव नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–8/वि.स.–806/12 4071 राँची, दिनांक–01/09/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/9/12

सरकार के उप सचिव।